न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/39/2025 रजू दिनांकः 07.04.2025 रजि0 न0 2025/67

अपीलार्थीः–

श्री राकेश, निवासी 168, स्कीम नं0 4, अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 15.04.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2025 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई थी, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 15.04.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू0आई0टी/आर.टी.आई./2025/263 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई क्रमांक 62/25 श्री राकेश, निवासी 168, स्कीम नं0 4, अलवर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना आवेदन क्रमांक 9990 दिनांक 18.02.2025 के द्वारा ले–आउट से संबंधित नकल चाही गई थी। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने एवं नये प्रारूप में होने के कारण एवं योजना का ले–आउट हेतु नकल शुल्क हेतु राशि 400/– जमा किए जाने हेतु न्यास न्यास पत्र क्रमांक 13875424 दिनांक 28.02.2025 को सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत मय सलंग्नक जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन दिनांक 18.02.2025 के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा वांछित ले–आउट से संबंधित नकल के संबंध में सूचना से कार्यालय राजकाज रै0 नं0 13875424 दिनांक 28.02.2025 का अंकन किया गया है। कार्यालय के किस पत्रांक/दिनांक के द्वारा अपीलार्थी को सूचना भिजवाई गई है का अंकन ही नहीं किया गया है। जबकि प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को भिजवाए गये जवाब मय संलग्नक अपीलार्थी की सूचना प्रति में पत्रांक एंव दिनांक का अंकन ही नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि उपरोक्तानुसार वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना भिजवाया गई हो साथ ही कार्यालय हाजा को प्रस्तुत जवाब में प्रतिलिपि अपीलार्थी में भी पत्रांक/दिनांक का अंकन नही किया गया है। जिससे अपीलार्थी को वांछित सूचना/जवाब से अवगत कराया जाना प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा भिजवाए गये अस्पस्ट जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि अपीलार्थी को वांछित सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को जिस पत्र/प्रतिलिपि के माध्यम से सूचना भिजवाई जा रही है उस प्रति पर पत्र क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण अंकन किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)